

नदी पुनर्जीवन के सामाजिक दस्तूर



“समाज द्वारा तैयार किए गए दस्तूर समाज की पाल होते हैं। इसमें हर तरह के विचार आते हैं। अच्छे विचारों को रोक कर समाज अपने आप बुरे विचारों को बहा देता है। अगर समाज की यह पाल टूटती है, तो पानी का काम भी टूटता है। एक जाजम पर बैठकर समाज की यह पाल नहीं टूटेगी, तो पानी का काम भी नहीं टूटेगा। अगर एक जाजम पर बैठकर समाज अपने दस्तूरों की पाल मजबूत कर ले, तो फिर सही विकास की ओर अग्रसर होने से उसे कोई नहीं रोक सकता है।”

स्व. श्री अनुपम मिश्र, 6 जून 1999

अरवरी नदी संसद् (दूसरा अधिवेशन)

समरा, अलवर, राजस्थान

यह पुस्तिका, अरवरी नदी संसद् के नियमों का संकलन है। इस पुस्तिका का उद्देश्य अन्य नदी आधारित समाजों के सामने उदाहरण पेश करना है, कि किस तरह एक समाज अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जिम्मेदार एवं जागरूक होता है।

प्रथम संस्करण : अगस्त, 2017

प्रकाशक : तरुण भारत संघ

वितरक : जल विरादरी एवं जल जन जोड़ो अभियान

आर्थिक सहयोग : LIC Housing Finance Ltd.

मुद्रक : कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर

नदी संसद् तथा ग्रामसभा की सक्रियता हेतु व्यवस्था निर्माण

- नदी सबकी साझी है।
- जो गांव नदी से सम्बन्धित हैं, उन गांवों की ग्राम सभाएं नदी की देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगी।
- जो ग्रामसभा इस काम में स्वयं सक्रिय नहीं होगी, उसे सक्रिय बनाये रखने हेतु नदी संसद् पहल करेगी।
- नदी संसद् का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संवर्द्धन करना है। यह सृजनात्मक कार्यों को बढ़ाने तथा गलत कार्यों को रोकने हेतु दखल देगी, लेकिन इससे सहजता व स्वावलम्बन का क्रम नहीं टूटना चाहिए।
- नदी संसद् समाज में स्वाभिमान, अनुशासन व निर्भयता को बढ़ाएगी।
- जरूरत पड़ने पर ग्रामसभा भी अपने स्तर पर दस्तूर बनाकर प्रबंध करेगी। इस कार्य में नदी संसद् सहयोगी की भूमिका अदा करेगी।
- सभी कानून एवं दस्तूर ग्राम सभा तथा नदी संसद् की आपसी सहमति से अनुशासित तरीके से लागू होंगे।
- किसी के जल अधिकार के प्रति अन्याय होता है, तो नदी संसद् उस अन्याय का प्रतिकार करने की शक्ति प्रदान करेगी।
- प्रत्येक व्यक्ति को दायित्वपूर्ण व्यवहार करने हेतु संस्कारित करने का काम भी नदी संसद् करेगी।

- निर्णय प्रक्रिया में समाज के अंतिम व्यक्ति को भागीदार बनाने के लिए संसद् एक विनम्र व्यवस्था कायम करेगी।
- सभी की अनुमति से दंड प्रक्रिया चलेगी। संसद तथा ग्रामसभा व्यक्ति के सामाजिक बहिष्कार तथा नदी से मिलने वाले लाभ से मुक्त करने की व्यवस्था कर सकती है।

जल पुनर्भरण को बढ़ावा देना

- धरती माँ का पेट भरने के लिए, जगह-जगह ताल, तलैया व पोखर बनाएँगे। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है।
- जो पुनर्भरण करेगा, उसे पुनर्भरण किए गए जल का उपयोग करने की छूट दी जायेगी। जो पुनर्भरण नहीं करेगा, उसे जल दोहन की छूट नहीं मिलेगी। उसे नए कुएँ बनाने व कुएँ गहरे करने की भी छूट नहीं होगी।
- अपने एक्यूफर (धरती का पेट) के आकार को जानना तथा उसमें पानी डालने व निकालने वाले दोनों का पता लगाना गाँव की जिम्मेदारी है। धरती का पेट भरा रहे, इस हेतु नियम का पालन करें।
- पानी के परम्परागत व आधुनिक दोनों जानकार मिलकर नदी से संबंधित एक्यूफर की निगरानी रखेंगे। एक्यूफर (धरती का पेट) को पूर्ण सुरक्षित रखना जरूरी है। पेट एकदम खाली न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए खेती तथा उद्योग में पानी की खपत कम करनी होगी। आपातकाल में जरूरत पड़ने पर पाताल से भी पीने का पानी लेने की छूट होगी। आखिर धरती व व्यक्ति दोनों को साथ-साथ ही तो

जीवित रहना है। इसी सिद्धान्त को बनाये रखने के लिए नदी संसद् काम करेगी।

हरियाली को बढ़ावा

- पेड़ में भगवान् का निवास मानकर उसके साथ वैसा ही श्रद्धापूर्ण व्यवहार करें, जैसा हम भगवान् के साथ करते हैं।
- बाहर के मवेशी अपने क्षेत्र में नहीं चरने दिए जाएँ।
- हरे पेड़ काटने पर बिल्कुल पाबन्दी लगे।
- पहाड़ों से घास की कटाई दीपावली के बाद शुरू करें।
- घास के लिए उत्पादक क्षेत्र के रूप में गांव के गोचर विकसित किये जाएँ।
- नंगे पहाड़ों पर बीज छिड़क कर उन्हें संरक्षित करें।
- प्रदूषणकारी उद्योग अपने क्षेत्र में नहीं लगने दिए जाएँ।
- लकड़ी चोरों पर नियन्त्रण हो।
- देव-बनी, रखत-बनी, ओरण आदि परम्पराओं को नये सिरे से पुनर्जीवित किया जाए।
- क्षेत्र में गायों तथा भैंसों की संख्या बढ़ाई जाए। ऊँट, भेड़ तथा बकरी सीमित किए जाएँ।

सिंचाई के नियम

- होली के बाद सीधा नदी से पानी उठाकर खेत में सिंचाई नहीं करेंगे। केवल पशुओं के पीने के लिए ही उचित स्थान पर पानी भरने की अनुमति दी जा सकती है।
- होली से पहले सीधा नदी में सिंचाई करने वाले क्षेत्रों में जल की कम खपत वाली फसल ही बोयी जाये। जब वर्षा के मौसम में अधिक पानी बहे, उस समय खरीफ में गन्ना और चावल छोड़कर पानी की सामान्य खपत वाली कोई भी फसल बो सकते हैं।
- नदी किनारे बांध बनाना तथा जंगल क्षेत्र में अधिक से अधिक व प्रकृति-अनुकूल पेड़ लगाना लाभकारी है। अतः नये पौधों की सिंचाई के लिए पानी लेने की पूरी छूट हमेशा रहेगी।
- सिंचाई के लिए अच्छी नाली तैयार करें, ताकि जल की बर्बादी रुके, फव्वारे एवं ड्रिप जैसी तकनीकों का प्रयोग करें।

कम खपत वाली खेती

- जल की कम खपत वाली फसलों की पैदावार पर अधिक जोर दें।
- रासायनिक खाद तथा जहरीली दवाओं का उपयोग कम से कम करें। खेतों में हरी तथा गोबर की खाद का ही अधिक उपयोग करें। प्राकृतिक कीटनाशकों को ही बढ़ावा दें।

- गन्ना और चावल जैसी अत्यधिक पानी पीने वाली फसलों को प्रतिबंधित करें।
- सब्जियाँ उतनी ही बोएँ, जितनी घर में उपयोग के लिए जरूरी हैं।
- ऐसी फसलें उगाएँ, जिनमें पानी का वाष्पीकरण कम से कम हो।
- पशुओं के लिए अधिक से अधिक चारा उगाने हेतु सिंचाई की पूरी छूट दें।

पानी की बिक्री पर रोक

- नदी पर इंजन लगाकर जल की बिक्री न स्वयं करेंगे और न किसी को करने देंगे। पानी बेचना पाप है।
- नदी का पानी किसी बाजारू कार्य, उद्योग अथवा खनन आदि में उपयोग नहीं होने देंगे।
- अपने क्षेत्र में बड़े बोरिंग करके यहां से कहीं अन्यत्र जल नहीं ले जाने देंगे।
- जल व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की बिक्री करने वाला उद्योग शुरू नहीं होने देंगे।
- गरीब व्यक्ति को बिना पैसा खर्च किए पानी लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। बड़े किसान उसे निःशुल्क पानी देंगे। वे छोटे किसान से मात्र इंजन की सिंचाई तथा डीजल-बिजली खर्च ही लेंगे।

- पानी की कीमत वसूलने का हक किसी को नहीं होगा। पानी बेचना पाप है।

जमीन की बिक्री पर रोक

- बाहर के व्यक्तियों को जमीन बेचने के बजाय अपने समाज में ही लेन-देन करना है।
- आपस में सहयोग कर इस तरह से रहें कि कोई अपनी जमीन बेचने पर मजबूर न हो।
- जमीन बिक्री रोक की तरफ रुझान के लिए गाँव में आपसदारी, अपनापन और पारिवारिक संबंध बनाने व बढ़ाने के प्रयास करना जरूरी है।

बाजार-मुक्त फसलों का नियम बनाना

- अपने उत्पादन ऐसे हों, जिनसे स्थानीय समाज की जरूरतें पूरी होती हों।
- गाँव का अपना हाट-बाजार बने, जिससे गाँव के लोग स्थानीय जरूरत के सामान को स्वयं पैदा करके अपनी जरूरतें पूरी कर सकें।
- उत्पादक व उपभोक्ता सीधे मिल सकें, ऐसी व्यवस्था बनानी जरूरी है, तभी इस क्षेत्र के लोग समृद्ध रह सकते हैं.....तभी यह नदी

सदैव बहने योग्य रहेगी। कारण?.....तब नदी का पानी गैर-जिम्मेदार बाहरी बाजार का बंधक नहीं रहेगा।

जीव-जन्तु सुरक्षा

- शिकारियों की निगरानी रखने वास्ते प्रत्येक ग्रामवासी को जागरूक बनाने का अभियान चलाना।
- शिकारियों को पकड़ने हेतु ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिलाना।
- शिकार प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करना।
- शिकार विरोधी प्रेरणादायी दल तैयार करना।
- 'जंगल जीव बचाओ' अभियान चलाना।

खनन नियंत्रण रणनीति बनाना

- क्षेत्र में खनन को कम कराने के प्रयास करेंगे।
- खान मालिकों से भी बात करके समस्या का समाधान सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे।
- जो क्षेत्र खनन से खराब हो गया है, उसे सही करने के लिए वृक्षारोपण करना होगा।

प्रकृति संरक्षण परंपराओं की समृद्धि

- हमें हमारे बुजुर्गों से ज्ञानपरक परम्पराओं की जानकारी एकत्र करनी होगी।
- जानकारी आगे संरक्षित रहे, इसके लिए हमारे पढ़े-लिखे युवा लोग इसे दस्तावेज का रूप देंगे। इसे अपने व्यवहार में लाकर हमारा समाज ज्ञानी बन सकेगा।
- इन सभी का विज्ञान समझना तथा इन्हें वैज्ञानिक नजरिया प्रदान करके पुनर्जीवित करने के प्रयास शुरू करने होंगे।
- हमारा समाज अपने शास्त्रों से जानकारी लेकर उसे देशकाल के अनुरूप व्यवहार में लाना तथा उसे ज्ञान कोष की भांति संभालना जानता था। ऐसी आदत को पुनर्जीवित करने की जरूरत है।



प्रेरणा गीत

मैं तुमको विश्वास दूँ

मैं तुमको विश्वास दूँ, तुम मुझको विश्वास दो।
शंकाओं के सागर हम लौंघ जायेंगे।
मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनायेंगे।
मैं तुम को.....

प्रेम बिना यह जीवन तो अनजाना है।
सब अपने हैं, कौन यहाँ बेगाना है।
हर पल अपना अर्थवान हो जायेगा।
बस! थोड़ा-सा मन मैं प्यार जगाना है।
इस जीवन को साज दो, मौन नहीं आवाज दो।
पाषाणों में मीठी प्यास जगायेंगे।
मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनायेंगे।
मैं तुमको.....

अलगाओं से आग सुलगने लगती है।
उपवन की हर शाख झुलसने लगती है।
हर आँगन में सिर्फ़ सिसकियाँ उठती हैं।
सम्बन्धों की साँस उखड़ने लगती है।
द्वेष-भाव को त्याग दो, बस! सब को अनुराग दो।
सन्नाटों में हम सरगम बन जायेंगे।
मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनायेंगे।
मैं तुमको.....

ढूँढ सको तो इस माटी में सोना है।
हिम्मत के हथियार नहीं बस! खोना है।
बीत गया जो समय उसे क्या रोना है।
लो हाथों में हाथ लो, इक-दूजे का साथ लो।
इस धरती का सोया प्यार जगायेंगे।
मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनायेंगे।
मैं तुमको विश्वास दूँ....

गाँव के हैं हम

गाँव के हैं हम रहने वाले, गाँव का मान बढ़ाएँ हम।
गाँव बचेगा... देश बचेगा, यह समझें-समझायें हम।
ग्रामवासिनी भारतमाता, मातृभूमि का सच्चा नाता।
एक बनें हम, नेक बनें हम, उसका यश फैलाएँ हम।
गाँव के हैं.....

गाँव की गलियों में खेलें हैं, लोट-पोट कर बड़े हुए।
धूल भरे हीरे कहलाये, स्वाभिमान से मँदे हुए।
मेहनत करना शान हमारी, स्वावलम्बन है आन हमारी।
कोई दुःखी ना... भूख सहे ना, ऐसा कर दिखलाएँ हम।
गाँव के हैं.....

सींच पसीने की बूँदों से, खेतों का शृंगार करें।
ऊँच-नीच के भेद भूलकर, गाँव एक परिवार करें।
बढ़े परस्पर भाई-चारा, सुख-दुःख का होवे बँटवारा।
जीवन की समुचित सुविधाएँ, सबके लिए जुटाएँ हम।
गाँव के हैं.....

हम ही गाँव के कर्ता-धर्ता, अपना गाँव सँवारेंगे।
लूट-फूट की बर्बादी से, अपना गाँव बचा लेंगे।
फिर न किसी का शोषण होगा,
होगा रक्षण-शिक्षण-पोषण।
दीन-हीन बन किसी के आगे क्यों झोली फैलायें हम।
गाँव के हैं.....

रहे ताकते मुँह औरों का, आए कोई सुधार करे।
भूख-गरीबी-बेकारी से गाँवों का उद्धार करे।
भंग हो गया अब यह सपना, हमें भरोसा श्रम पर अपना।
नया-नया निर्माण करें नित, पुरुषार्थ अजमाएँ हम।
गाँव के हैं हम रहने वाले, गाँव का मान बढ़ाएँ हम।
गाँव बचेगा... देश बचेगा, यह समझें-समझायें हम।

हमारा संकल्प

पानी जहाँ दौड़ता है, वहाँ इसे चलना सिखाना है।

जहाँ चलने लगे, वहाँ इसे रेंगना सिखाना है।

जहाँ रेंगने लगे, वहाँ इसे ठहराना है।

जहाँ ठहर जाए, वहाँ इसे धरती के पेट में बैठाना है।

ताकि नज़र न लगे सूरज की,

और जब कभी सूखा और अकाल आए

तो मर्यादित होकर इसी जल से, जीवन चलाना है।

10 कुओं के बराबर एक बावड़ी

10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब

10 तालाबों के बराबर एक संतान

10 संतानों के बराबर एक वृक्ष



TARUN BHARAT SANGH

हमारा लक्ष्य
जल स्वराज से ग्राम स्वराज